संख्या-5/2017/23/55-पर्या-2017-42(पर्या)/2015

प्रेषक,

श्री आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2016 -17 में अनुदान संख्या-45 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-1063/-पर्या0/लेखा-14/2016-17 दिनांक 01 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण विभाग के वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अनुदान संख्या-45, के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक- 3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण -04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001- निदेशन तथा प्रशासन - आयोजनेत्तर- 03- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के मानक मद सं0- 03-मंहगाई भत्ता के अन्तर्गत सम्भावित बचत रू0 34,00,000-00 में से 03- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के मानक मद सं0-01-वेतन में रू0 9,91,000-00 एवं मानक मद सं0-06- अन्य भत्ते में रू0 88,000-00 तथा मानक मद सं0-29- अनुरक्षण में रू0 11,51,000-00 और 04-क्षेत्रीय कार्यालय के मानक मद संख्या-03-मंहगाई भत्ता के अन्तर्गत सम्भावित बचत रू0 10,65,000-00 में से मानक मद संख्या-01-वेतन में रू0 7,63,000-00 और मानक मद संख्या-06- अन्य भत्ते में रू0 1,82,000-00 अर्थात कुल रू0 31,75,000-00 (रू0 इकत्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 /दस-2016-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 को पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुसार निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) बचत की धनराशि सुनिश्चित करते हुये आवश्यकतानुसार ही व्यय किया जाय।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- पुनर्विनियोग संबंधी आदेश संलग्न है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2017/23(1)/55-पर्या-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0–09 (भाग–1)

पुर्नविनियोजन की स्वीकृति के लिये आवेदन

विषय बजट मैनुअल का प्रस्तर–158

वित्तीय वर्ष–2016–17

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या का नाम–45– पर्यावरण **वित्तीय वर्ष 2016–17** **(धनराशि हजार रू0 में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक को अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखा						राजस्व लेखा					
3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनेत्तर 03–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय						**3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनेत्तर 03–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय**					
03– मंहगाई भत्ता	10472	3400	2230	2230	8242	**01– वेतन**	7700	8691	991	991	8691
						06– अन्य भत्ते	770	858	88	88	858
						29–अनुरक्षण	400	1551	1151	1151	1551
राजस्व लेखा **3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनेत्तर 04–क्षेत्रीय कार्यालय**						राजस्व लेखा **3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनेत्तर 04–क्षेत्रीय कार्यालय**					
03– मंहगाई भत्ता	4303	1065	945	945	3358	**01–वेतन**	3164	3927	763	763	3927
						06– अन्य भत्ते	316	498	182	182	498
योग	**14775**	**4465**	**3175**	**3175**	**11600**		**12350**	**15525**	**3175**	**3175**	**15525**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–वास्तविक व्यय के फलस्वरूप बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ –9 में अकिंत अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–

वास्तविकता के अनुसार कम बजट व्यवस्था होने के फलस्वरूप अधिक व्यय सम्भावित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,154 व 158 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव

संख्या आर ई– 643/ दिनांक 22.03.2017

सेवा में ,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव
वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।

संख्या–5/2017/ 23 /55–पर्या–2017–42(पर्या)/2015, दिनांक 29 मार्च, 2017 लखनऊ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ।
2. कोषाधिकारी , जवाहर भवन , लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 तीन प्रतियों में ।

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव,
पर्यावरण विभाग।
उ0प्र0 शासन।